म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–7/2/बी.ओ.टी./खरगोन/2762 भोपाल, दिनांक 02/05/2016

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, (समस्त)
....
जिला..(म.प्र.)

विषयः—मंडियो में स्थापित इलेक्ट्रानिक तौलकांटो से कृषि उपज की सही तौल सुनिश्चित करने के संबंध मे।

मंडी समितियो मे स्थापित इलेक्ट्रानिक छोटे–बड़े तौलकांटे रखरखाव सही स्थिति में नही होने के संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री, सचिवालय द्वारा मंडी प्रांगण मे कृषको द्वारा विक्रय कराई गई कृषि उपजो का सही–सही तौल कराये जाने के लिये दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशो का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे :—

(1) मण्डी/उपमंडी प्रांगण में स्थापित उपलब्ध उपयोगी छोटे बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटो से कृषकों की उपज की सही–सही तौल सुनिश्चित हो सके इस हेतु इलेक्ट्रानिक तौलकांटो का सतत् निरीक्षण प्रतिदिन कराया जावे एवं इस कार्यवाही में नाप–तौल विभाग के अधिकारियों का सहयोग भी लिया जाना सुनिश्चित करे तथा मासिक रूप से किये गये निरीक्षणो की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रेषित करे।

(2) मंडी प्रांगण मे स्थापित छोटे बड़े तौलकांटो का निरीक्षण करते समय प्रतिदिन आकस्मिक रूप से मानक वजन के बाट रख कर उनकी सटीकता की जांच की जावे। इस संबंध मे तौलकांटो हेतु जारी परिपत्रों मे भी प्रावधान किये गये है, उनके पालन की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जावे।

(3) मण्डी समितियो मे लागू कार्यालयीन मैन्युअल मे तौल कराने के संबंध मे स्पष्ट प्रकिया का उल्लेख है। साथ ही पारदर्शी तौल कराने के संबंध मे समय–समय पर मुख्ययालय स्तर से परिपत्र क्रमांक बी/6/1–3/इले0 तौल व्यवस्था/07/716 दिनांक 23.03.2007 जारी किये गये है।

(4) कृषको की उपज की तौल के निरीक्षण मे तौल में अन्तर पाये जाने पर तत्समय ही उसकी गणना मण्डी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानो के अन्तर्गत की जाकर कृषको को अंतर की राशि का भुगतान प्रावधान अनुसार सुनिश्चित कराते हुए संबंधितो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

(अरूण पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह–आयुक्त–सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–7/2/बी.ओ.टी./खरगोन/2763 भोपाल, दिनांक 02/05/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र. शासन को उनकी नोटशीट कमांक 252 दिनांक 22.03.2016 के संदर्भ मे।

2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

3 अपर संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

4 संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय........................ (समस्त) की ओर लेख है कि उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह–आयुक्त–सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल